न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA168 Kesharsinghetc Vs State

1. केशरसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह राजपूत
2. हिम्मतसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह राजपूत
3. मदनसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह राजपूत
4. दुर्गसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह राजपूत
5. गजेसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह राजपूत
6. पवनकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह राजपूत
7. विजयसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह राजपूत
8. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. डूंगरसिंह राजपूत
9. पृथ्वीसिंह पुत्र स्व. डूंगरसिंह राजपूत
10. सज्जन कंवर पत्नी स्व. डूंगरसिंह राजपूत
11. जब्बरसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत

निवासीगण सोढो की ढाणी,
तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 13/2014 राजस्थान सरकार बनाम घीसूकंवर व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 13/2014 राजस्थान सरकार बनाम घीसूकंवर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 23 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 387 व 388 रकबा कमशः 20 बीघा 01 बिस्वा व 2 बीघा 11 बिस्वा (दोनों खसरान का रकबा राजस्व रिकार्ड से मेल नहीं करता है) कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि पर अवैध खनन मानते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित अपीलाधीन आदेश बिलकुल निराधार, गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत, मनमाना एवं रेकर्ड पर आयी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले खारिज है। अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुरूप सम्पादित नहीं की गयी है। प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। पटवारी हळका की जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के खिलाफ समस्त कार्यवाही कर प्रार्थी के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किये गये, स्वयं उस पटवारी के बयान अधीनस्थ न्यायालय में कलमबद्ध नहीं कराये गये है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के तहत नियमानुसार तामील होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है और तामील होने के बाद यदि जबाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समान कार्यवाही की जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार एवं खनन विभाग को साक्ष्य सबूत पेश कर केस को साबित करना होता है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यवाही की गयी और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त आराजी में अन्य सहखातेदार होते हुए भी उन्हें पक्षकार बनाये बगैर आदेश पारित किया गया है, जबकि वादग्रस्त आराजी के अपीलाण्ट के अलावा अन्य और भी कई सहखातेदार है, जिन्हें मामले में पक्षकार बनाये बिना और साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या एक घीसूकंवर का देहान्त दिनांक 14 नवम्बर 2013 को हो जाने की सूचना 06 मार्च 2014 की आदेशिका के अनुसार दी जा चुकी थी, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अप्रार्थी के कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन आदेश एक मृतक पक्षकार के खिलाफ पारित किया गया है। अतः मृतक पक्षकार के खिलाफ पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य एवं नलिटी होने से काबिले-खारिज है। सभी अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत तामील नहीं होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय 11 जून 2015 को पुनः नोटिस पेश होने पर जारी किये जाने के आदेश दिये गये। इसके बाद दिनांक 15 दिसम्बर 2017 की आदेशिका अनुसार नोटिस जारी किये जाने का वर्णन पाया जाता है। मगर उक्त नोटिस अदम-तामील या बाद-तामील प्राप्त होने बाबत कोई विवरण अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में उपलब्ध नहीं है और सीधे दिनांक 02 नवम्बर 2018 की आदेशिका में "अप्रार्थी को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है, इनका जबाब बन्द किया जाता है।" अंकित कर दिया गया। स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिससे अपीलाधीप आदेश बाबंत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी और अपीलाण्ट्स मियाद-शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन एवं मियादबाधित होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. आगे आदेशिका दिनांक 06 मार्च 2014 दॉयें हाशियें पर अप्रार्थी संख्या एक घीसूकंवर का देहान्त दिनांक 14 नवम्बर 2013 को हो जाना लिखा हुआ है और नीचे किसी के हस्ताक्षर भी है, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अप्रार्थी के कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन आदेश एक मृतक पक्षकार के खिलाफ पारित किया गया है। जो समर्थन किये जाने के काबिल नहीं पाया जाता है।

4. अपील स्तर पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार अप्रार्थीनी संख्या एक घीसूकंवर का देहान्त 14 नवम्बर 2013 को होना प्रकट होता है, मगर अधीनस्थ न्यायालय में उसके विधिक वारिसान को पक्षकार कायम नहीं किया गया। जिससे अपीलाधीन आदेश मृतक पक्षकार के खिलाफ पारित आदेश होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

5. अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण पर सम्मनों की तामील समुचित एवं पूर्ण नहीं मानते हुए आदेशिका दिनांक 11 जून 2015 के अनुसार पुनः नोटिस पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने पर जारी किये जाने के आदेश दिये गये। इसके बाद दिनांक 15 दिसम्बर 2017 की आदेशिका अनुसार नोटिस जारी किये जाने का वर्णन पाया जाता है। मगर उक्त नोटिस अदम-तामील या बाद-तामील प्राप्त होने बाबत कोई विवरण अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में उपलब्ध नहीं है और सीधे दिनांक 02 नवम्बर 2018 की आदेशिका में "अप्रार्थी को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है, इनका जबाब बन्द किया जाता है।" अंकित कर दिया गया। स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। इससे **स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।**

6. उल्लेखनीय है कि दिनांक 06 मार्च 2014 से लेकर दिनांक 29 मई 2015 तक तथा दिनांक 09 जुलाई 2015 से 05 दिसंबर 2017, 05 जनवरी 2018 से 07 जुलाई 2019 तक किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता गया है। पत्रावली में अभिलेख की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या लिखा जा रहा है, पक्षकारान की उपस्थिति/तामील की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या वर्णित किया जा रहा है। कही कोई तारतम्य ही नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. अपील स्तर पर पार्टनरशिप डीड की नकल पेश की गयी है, जिसके अनुसार उगमकंवर राठौड पत्नी रणवीरसिंह, डूंगरसिंह राठौड पुत्र गुमानसिंह, जब्बरसिंह राठौड पुत्र गुमानसिंह, सज्जनकंवर पत्नी डूंगरसिंह, केशरसिंह राठौड पुत्र दलपतसिंह, हिम्मतसिंह राठौड पुत्र दलपतसिंह, मदनसिंह राठौड पुत्र दलपतसिंह एवं दुर्गसिंह राठौड पुत्र दलपतसिंह की साझेदारी फर्म नव दुर्गा एण्टरप्राइजेज होना पाया जाता है।
8. उक्त फर्म नव दुर्गा एण्टरप्राइजेज के नाम कार्यालय खनि अभियन्ता जोधपुर द्वारा ग्राम बडली व बागां के खसरा संख्या 386, 387 एवं 388 व 56 बाबत जारी क्वारी लाईसेंस की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है। जिसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक है।
9. जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, गुणावगुण पर अपील सारवान पाये जाने के कारण अपील पेश करने में हुए विलम्ब को अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए कण्डोन किया जाता है।
10. राजस्व रिकार्ड जमाबंदी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें खसरा संख्या 387 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा है जिसमें किसी भी प्रकार से खनन कार्य किया जाना विश्वास करने लायक नहीं है जबकि पटवारी ने मौका रिपोर्ट में **"इन खसरों में खनन कार्य किया जा रहा**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। इससे अपीलाण्ट के अधिवक्ता की दलील को बल मिलता है कि रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गयी है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि खसरा संख्या 387 व 388 का प्रार्थनापत्र व आदेश में वर्णित रकबा राजस्व रिकार्ड से मेल नहीं खाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन एवं विधिसम्मतः नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। साथ ही जब वादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिवत खनन अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है तो इसमें किसी प्रकार के अवैध खनन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 6/12/19

(नखंतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर